भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2265**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025/10 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

**उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भरता**

**2265. श्री राजेश रंजन:**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) क्या सरकार का बिहार जैसे उर्वरक की अधिक खपत वाले राज्यों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;
(ग) क्या आयातित उर्वरक की कम लागत के कारण सरकार देश में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के प्रति अनिच्छुक है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

**(क):** यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमश: उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता

12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा दक्ष हैं क्योंकि ये नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अत:, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान रही 207.54 एलएमटीपीए की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्आकलित क्षमता, आरएसी) वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर 283.74 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण रूट पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जेवीसी नामत: तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष नीति भी अनुमोदित की गई है। हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), नामरूप असम के मौजूदा परिसर के भीतर 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता के एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन को आरएसी से अधिक बढ़ाकर अधिकतम करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)–2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से यूरिया का उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान हुए वार्षिक उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटीपीए का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है।

उपर्युक्त सभी उपायों से यूरिया उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान 225 एलएमटी प्रतिवर्ष था जो वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर 314.07 एलएमटी का रिकार्ड यूरिया उत्पादन हुआ है। वर्ष 2024-25 के दौरान देश में 306.67 एलएमटी यूरिया का उत्पादन हुआ है।

सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। इस नीति के तहत, अधिसूचित पीएंडके उर्वरकों पर उनकी पोषकतत्वों की मात्रा के आधार पर वार्षिक/अर्धवार्षिक आधार पर एक निश्चित राशि की सब्सिडी प्रदान की जाती है। एनबीएस नीति के तहत, पीएंडके उर्वरक मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शामिल किए जाते हैं और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) अनुरोधों के आधार पर, उत्पादन को बढ़ावा देने और देश को उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एनबीएस सब्सिडी स्कीम के तहत नई उत्पादन इकाइयों अथवा मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने को अहमियत दी गई/संज्ञान में लिया गया है।

(ii) उत्पादन को बढ़ावा देने और देश को उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एनबीएस नीति के तहत शामिल किए गए पीएण्डके उर्वरकों की संख्या वर्ष 2021 की 22 ग्रेड से बढ़ाकर वर्तमान में 28 ग्रेड कर दी गई है।

(iii) मृदा को फॉस्फेटयुक्त अथवा 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने हेतु एसएसपी, जो एक स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस पर मालभाड़ा सब्सिडी खरीफ मौसम 2022 से लागू है।

**(ख):** किसी राज्य में उर्वरक संयंत्र की स्थापना मुख्यतः उर्वरकों की खपत के रूझान की बजाय व्यवहार्यता पर आधारित होती है। प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार राज्यों में उर्वरकों की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजनाएं जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक आबंटित करता है। इन आपूर्तियों को स्वदेशी उत्पादन के साथ-साथ आयात द्वारा पूरा किया जाता है। सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

**(ग) और (घ):** जैसा कि उपर्युक्त (क) में उल्लिखित है, सरकार ने देश में उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रभावशाली उपाय किए हैं। हालाँकि, उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन देश की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है और इस कमी को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों के उत्पादन, इनकी खपत और आयात का विवरण नीचे दिया गया है:-

(एलएमटी में)

| यूरिया | | | |
|---|---|---|---|
| **वर्ष** | **उत्पादन** | **खपत** | **आयात** |
| 2022-23 | 284.94 | 357.26 | 75.80 |
| 2023-24 | 314.07 | 357.81 | 70.42 |
| 2024-25 | 306.67 | 387.92 | 56.47 |

(एलएमटी में)

| पीएंडके | | | |
|---|---|---|---|
| **वर्ष** | **उत्पादन** | **खपत** | **आयात** |
| 2022-23 | 200.35 | 279.12 | 112.01 |
| 2023-24 | 189.26 | 288.42 | 106.53 |
| 2024-25 | 211.21 | 317.31 | 103.82 |

******